

2023/1032

प्रतिवेदन पटवारी हल्का: गऊ

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम गऊ की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 253 में प्रार्थी का नाम श्रीवाराम पुत्र/पुत्री/पति नाथूराम जाति अहीर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी का वास्तविक नाम श्रीवाराम पुत्र/पुत्री/पति नाथूराम जाति अहीर है। जिसने सादर के रूप में प्रार्थी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र प्राप्त है। अतः श्रीमानजी, सनप्र दस्तावेजों एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम श्रीवाराम पुत्र नाथूराम के स्थान पर श्रीवाराम पुत्र नाथूराम जाति अहीर दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

हस्ताक्षर पटवारी 16/6/23

जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त: गऊ

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम गऊ की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 253 में प्रार्थी का नाम श्रीवाराम पुत्र/पुत्री/पति नाथूराम जाति अहीर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सनप्र दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का गऊ एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम श्रीवाराम पुत्र/पुत्री/पति नाथूराम जाति अहीर दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

LR-49 17/06/23

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक 17/6/23

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार ( भू- अभिलेख ), श्रीमाधोपुर

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम गऊ की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 253 में प्रार्थी का नाम श्रीवाराम पुत्र/पुत्री/पति नाथूराम जाति अहीर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सनप्र दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का गऊ जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त गऊ एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम श्रीवाराम पुत्र/पुत्री/पति नाथूराम जाति अहीर दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

श्रीवाराम

हस्ताक्षर तहसीलदार (भू अ.) श्रीमाधोपुर

आदेश ( शिविर स्थान:- गऊ दिनांक:- 17/6/2023

जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का:- गऊ, जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त:- गऊ, जांच प्रतिवेदन तहसीलदार ( भू-अभिलेख ), श्रीमाधोपुर तथा संलग्न दस्तावेज:- आधार-कार्ड, पहचान-पत्र, राशन-कार्ड के ( राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-136 के अन्तर्गत ) राजस्व ग्राम:- गऊ के खाता संख्या:- 253 में प्रार्थी का नाम श्रीवाराम पुत्र नाथूराम के स्थान पर श्रीवाराम पुत्र नाथूराम दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।



श्रीमाधोपुर उप-खण्ड अधिकारी ( श्रीमाधोपुर ) पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर